

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त नादन, तहसील मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश

xx-(a)-a-89

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

Rev-Hindi

मामला क्रमांक -

(1)	(2)	(3)
<p>प्रकरण पेश आदेश हेतु प्राप्त ।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि आवेदकपिता/पति निवासी तहसीलजिला सतना (म0प्र0) के द्वारा ग्राम की आराजी नं0 रकवा है।</p> <p>कुल किता कुल रकवा है। भूमि का नामांतरण पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक दिनांक के अनुसार अनावेदक/विक्रेतापिता/पति की जगह आवेदक/क्रेता के नाम किये जाने हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1950 की धारा 109-110 के तहत प्रस्तुत किया गया ।</p> <p>प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्रकाशित इश्तहार तामील वाद वापस प्राप्त, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं ।</p> <p>प्रकरण में आवेदक द्वारा मूल पंजीकृत विक्रय पत्र, आवेदित आराजियों के खसरे की प्रति एवं साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन एंव प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अनुशीलन उपरांत म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत आवेदन के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम की आराजी नं0 रकवा है। कुल किता कुल रकवा है। भूमि का नामांतरण पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक दिनांक के अनुसार अनावेदक/ विक्रेता पिता/पति की जगह क्रेतापिता/पति निवासी के नाम किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। पंजीकृत विक्रय पत्र आदेश का मुख्य अंग होगा। आवेदक सूचित हो। हल्का पटवारी आदेश से सूचित होकर आदेशानुसार रिकार्ड अद्यतन करके अद्ययलिखित खसरे की प्रति प्रकरण में संलग्न करें। प्रकरण कार्यवाही वाद दायरा से पृथक होकर सूचित अभिलेखागार हो।</p>		

नायब तहसीलदार
वृत्त - नादन तहसील मैहर
जिला सतना (म.प्र.)